

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सितम्बर २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. सहायक सचिवों (2016 बैच के आईएएस अधिकारी) का विदाई समारोह 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित किया गया। इस दिवस पर सहायक सचिवों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे कि खेती से आय को बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, शिकायत निवारण, नागरिक केन्द्रित सेवाओं, विद्युत क्षेत्र में सुधार, पर्यटन को आसान बनाना, ई- नीलामी एवं स्मार्ट शहरी विकास हल पर आठ चयनित प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों को सरकार से लोगों की अपेक्षाओं पर ध्यान देने पर बल दिया और अपने कैरिअर के दौरान अपने पद के अनुसार उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करने का आह्वान किया।
- ii. इस विभाग ने इस पखवाड़े (दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2018) के दौरान श्रमदान गतिविधियों का आयोजन कर स्वच्छता ही सेवा 2018 (एसएचएस) मनाया। मंत्रिमंडल सचिव ने सचिव (कार्मिक) के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिसर के बाहर "स्वच्छता ही सेवा" अभियान का नेतृत्व किया।
- iii. पीईएसबी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 13 (तेरह) पदों [सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष के 01 (एक) पद एवं निदेशक के 12 (बारह) पदों के लिए] के लिए विज्ञापन जारी किया और इसके लिए 13 (तेरह) चयन बैठकें [सीएमडी/ एमडी के लिए 02 एवं निदेशक के लिए 11 (ग्यारह)] आयोजित की गईं।
- iv. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 08 मामलों (02 सीएमडी/एमडी एवं 06 प्रकार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडलीय सचिव/एसीसी द्वारा विभिन्न न्यायधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्ष/सदस्य की 10 (दस) नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में मुख्या कार्यकारी की 03 (तीन) नियुक्तियां समयपूर्व मूल संवर्ग में वापस भेजने के 03 (तीन) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी के 03 (तीन) प्रस्तावों, सेवाकाल में विस्तार देने के 06 (छह) प्रस्तावों एवं कार्यकाल में कटौती करने के 01 प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन प्रस्ताव पर 07 अधिकारियों को बनाए रखा गया।
- v. सिविल सेवा परीक्षा 2017 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिफारिश पर उम्मीदवारों को आईएएस, आईएफएस, आईपीएस केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह क एवं समूह ख जैसी सेवाओं के आबंटन के लिए चौथी बार इंटरेशन अनुमोदित किया।
- vi. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :
 - क. सीएसएस की तृतीय संवर्ग समीक्षा के अधीन 14.09.2018 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा केंद्र यूनिटों में उप सचिव के 146 पद, अवर सचिव के 228 पद एवं अनुभाग अधिकारी के 446 पदों को आबंटित किया गया है।
 - ख. सीएसएस वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची, 2017 में सीएसएस अधिकारियों को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

- ग. 2016 के लिए वरिष्ठता कोटा पर सीएसएस के अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है।
- घ. दिनांक 07.09.2018 की बैठक में एफआर 56(च) के अधीन समीक्षा समिति द्वारा कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के 34 उप सचिव/निदेशक एवं 134 अवर सचिव सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त पाए गए।
- ङ. यूपीएससी के पास भेजने के लिए अवर सचिव चयन सूची 2015 विचार क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है।
- च. यूपीएससी के पास भेजने के लिए अवर सचिव चयन सूची 2004-05 की समीक्षा के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश इस विभाग द्वारा जारी किए गए :-

- क) इस विभाग के दिनांक 20.09.2018 के का.जा. सं. 31011/3/2018-स्था.(ए-iv) द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम 1988 में हवाई यात्रा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) एवं अंडमान एवं निकोबार दीप समूह की यात्रा करने की अवधि को 26 सितम्बर, 2018 से आगे दो वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए छूट देने हेतु अनुदेश जारी किए गए।
- ख) दिनांक 20.09.2018 का.जा. सं. 35034/1/2017 - स्था. घ द्वारा एमएसीपीएस में वेतन निर्धारण करने के विकल्प की उपलब्धता के संबंध में सीसीएस (आरपी) नियमों में निचले पद में अगली वेतनवृद्धि की तारीख से और अगली वेतनवृद्धि (डीएनआई) से वेतन निर्धारित करने की प्रविधि, यदि विकल्प दिया है, के लिए अनुदेश जारी किए गए।